FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैलाश वगै0 बनाम छीतर वगै0

किस्म मुकदमा:-प्रार्थना पत्र वाजदायरी, मुकदमा नम्बर:- 1 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.01.2023	प्रार्थीगण की ओर से श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाबत वाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गईं। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस के दौरान अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण श्योपाल व०ा० बनाम छीतर वगै0 न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.12.2022 को वकील वादीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। जो अन्दर मियाद होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में किया है। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाजदायरी अ..र्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद पत्र उनवानी प्रकरण श्योपाल वगै0 बनाम छीतर वगै0 न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.12.2022 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली वाजदायरी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	1

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.20 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested